न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु. नं0 ..... वर्ष .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-8-23	[illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
14.9.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17.11.23 को पैश हों।	
17.11.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.12.23 को पैश हों। [illegible]	
18/12/23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 23/2/24 को, पेश हों।	
23/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक लोग ने आज [illegible] स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/5/24 को पेश हो।	
15.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तसदीक तलबात दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	